



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228910
CG-DL-E-11082021-228910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2996]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943

No. 2996]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3227(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1034 (अ), दिनांकित 17 अप्रैल, 2015 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए

नया रारा स.313	अनिनि-मेखा खंड	235 किमी
नया रारा स.713	जोरम-कोलोरियांग खंड	158 किमी

क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नया रारा स.313	अनिनि-मेखा खंड	कि.मी. 0.00 से किमी. 21.50 और किमी. 130.30 से कि.मी. 235.00
नया रारा स.713	जोरम-कोलोरियांग खंड	कि.मी. 0.00 से किमी. 20.00

[फा. सं. एनएच-14013/16/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1034(अ), दिनांकित 17 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3227(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1034 (E), dated the 17th April, 2015, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

New NH No. 313	Anini-Mekha section	235 Kms
New NH No. 713	Joram-Koloriang section	158 Kms

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

New NH No. 313	Anini-Mekha section	Km. 0.00 to Km. 21.50 and Km. 130.30 to Km. 235.00
New NH No. 713	Joram-Koloriang section	Km. 0.00 to Km. 20.00

[F. No. NH-14013/16/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 1034(E), dated the 17th April, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3228(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
रारा -52	पैसघाट से बोम्जुर खंड (अरुणाचल प्रदेश राज्य में)	किमी. 583.45 से कि.मी. 605.60
रारा-313	हुनली-अनिनी (अरुणाचल प्रदेश राज्य में)	किमी 21.50 से किमी 130.30

नया रारा-113	एरोवा-हवाई (अरुणाचल प्रदेश राज्य में)	किमी 68.55 से किमी 91.633 किमी 0.00 से किमी 63.129
नया रारा-713	713 जोरम-कोलारिआंग (अरुणाचल प्रदेश राज्य में)	किमी 20.00 से किमी 158.00
नया रारा-701ए	बारामूला-गुलमर्ग (जम्मू और कश्मीर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में)	किमी .0.00 से किमी.42.820 (संपूर्ण रारा)
रारा-510	सिंगतम-ग्यालशिंग (सिक्किम राज्य में)	किमी 0 से किमी 90.210 (संपूर्ण रारा)
रारा-717ए	बगराकोट-काफर-रेशी-बोर्डर (पश्चिम बंगाल राज्य में)	किमी 0 से 96.254 (संपूर्ण रारा)

[फा. सं. एनएच-14013/16/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3228(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
NH- 52	Paisghat to Bomjur section (In the state of Arunachal Pradesh)	Km. 583.45 to Km. 605.60
NH-313	Hunli –Anini (In the state of Arunachal Pradesh)	Km. 21.50 to Km. 130.30
New NH-113	Arrowa-Hawai (In the state of Arunachal Pradesh)	Km. 68.55 to Km. 91.633.and Km. 0.00 to Km. 63.129
New NH-713	Joram-Kolariang (In the state of Arunachal Pradesh)	Km. 20.00 to Km. 158.00
New NH-701A	Baramulla-Gulmarg (In the State/UT of Jammu & Kashmir)	Km .0.00 to Km.42.820 (Entire NH)
NH-510	Singtam-Gyalshing (In the state of Sikkim)	Km. 0 to Km. 90.210 (Entire NH)

NH-717A	Bagrakot-Kafer-Reshi-Border (In the state of West Bengal)	Km. 0 to 96.254 (Entire NH)
---------	--	--------------------------------

[F. No. NH-14013/16/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3229(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 2, 25 और 35 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

1	2	3
"2	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37, सं. 52 [किमी 583.450 से किमी 605.600(पासीघाट से बोंमजूर खंड) और किमी 688.000 से किमी 806.75 (दिगारू – चौखम खंड को छोड़कर)], सं. 52ए, सं. 52बी [किमी 0.0 से किमी 33.0(महादेवपुरी –बूरी डिहिंग खंड), किमी 33.150 से किमी 58.0 (बोर्डुमसा-नामचिक खंड), किमी 126.0 से किमी 146.0 (चांगलांग/तिरप जिला सीमा-चांगलांग खंड), किमी 146.0 से किमी 190.0 (चांगलांग जिला सीमा-खोनसा खंड) और किमी 233.0 से किमी 283.0 (लॉन्गडिंग-कनुबारी खंड)], सं. 153, सं. 229 [किमी 0.00 से किमी. 233.00 (तवांग-बोमडिला-निचिपु) को छोड़कर], किमी 982.85 से किमी 998.85 (पासीघाट-पांगिन खंड) और किमी 1013.85 से किमी 1041.85 (पासीघाट-पांगिन खंड)], नया रारा सं. 113 [किमी 68.550 से किमी 91.633 तक और किमी 0 से किमी 63.129 (अरोवा-हवाई खंड) को छोड़कर], नया रारा सं. 315 ए, नया रारा सं. 513 [किमी 22.0 से कि.मी. 62.0 (सिंगर नदी-सिजोह नाला खंड) को छोड़कर] और नया रारा सं. 713ए के उतने भाग जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार
"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2बी, (बर्दवान किमी 0.00 से किमी 105.86 मोल्लारपुर), सं. 31 [किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (सिलीगुड़ी के निकट डलकोला से घोषपुकुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 31ए (सीवोक – रोंगपो खंड), सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा – दुबराजपुर – सूरी –रामपुरहाट – नलहाटी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [किमी 0.557 से किमी 7.105 तक (कोना एक्सप्रेसवे) और किमी 22.76 से किमी 137.68 (जोका से बक्हाली तक)], सं. 80, सं. 81, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 116बी, नई रारा सं. 131ए, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 10 [इंडो/बांग्लादेश सीमा-फुलबाड़ी – सिलीगुड़ी (शिवमंदिर, मेडिकल मोड़ खंड)], नई रारा सं. 317ए, (भूटान – भारत सीमा से हासीमारा), नई रारा सं. 327बी (भारत – नेपाल सीमा पर मेची नदी से पानी टंकी मार्किट रारा 31सी पर समाप्त होने वाला), नई रारा सं. 419, नई रारा सं. 512 और नई रारा सं. 717 (मैनागुड़ी-चांगराबन्धा-इंडो/बांग्लादेश सीमा खंड) के उतने भाग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार

“35	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रारा-10 [किमी 52.00 से किमी. 80.00 (रंगपो-रानीपूल खंड) को छोड़कर], रारा सं. 310ए [मंगन, कुदर्योंग, चुंगथांग, लाचुंग, युमथांग, युम-समदांग सीमा खंड को छोड़कर] और रारा सं. 710 के उतने भाग जो सिक्किम राज्य में अवस्थित हैं।	सिक्किम राज्य सरकार”
-----	--	----------------------

[फा. सं. एनएच-14013/16/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. 2982(अ), दिनांकित 28 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3229(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 2, 25 & 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“2	So much of National Highways No. 37, No. 52 [excluding from Km 583.450 to 605.600 (Pasighat to Bomjur section) & from Km. 688.000 to Km. 806.75 (Digaru-Chowkham section)], No. 52A, No. 52B [excluding from Km. 0.0 to Km. 33.0 (Mahadevpur-Buri Dihing section), from Km. 33.150 to Km. 58.0 (Bordumsa-Namchik section), from Km. 126.0 to Km. 146.0 (Changlang/Tirap district boundary-Changlang section), from Km. 146.0 to Km. 190.0 (Changlang district boundary-Khonsa section) and from Km. 233.0 to Km. 283.0 (Longding-Kanubari section)], No. 153, No. 229 [excluding from Km. 0.00 to Km. 233.00 (Tawang-Bomdila-Nichipu), from Km 982.85 to Km.998.85 (Pasighat-Pangin section) and from Km. 1013.85 to Km. 1041.85 (Pasighat-Pangin section)], new NH No. 113[excluding from Km 68.550 to Km 91.633.and from Km 0 to Km 63.129 (Arrowa-Hawai section)], new NH No.315A, new NH No. 513 [excluding from Km. 22.0 to Km. 62.0 (Singer River-Sizoh Nala section)] and new NH No. 713A as are situated within the State of Arunachal Pradesh.	State Government of Arunachal Pradesh.”.
25	National Highways No. 2B (Burdwan 0.00 Km. to Mollarpur 105.86 Km.), No. 31 [(excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31A (Sevoke-Rangpo section), No. 31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)] , No.34 (excluding from Km. 31.00 (Barrasat) to Km. 452.70 (Dalkhola), No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur- Suiri-Rampurhat-Nalhati and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No. 35, No. 55, No. 60A and No.117 [from Km. 0.557 to Km. 7.105 (Kona Expressway) and Km. 22.76 to Km. 137.68 (from Joka to Bakhali)], No. 80, No. 81, new National Highway No. 114 A, new National Highway No. 116B, new National Highway No. 131A, new NH No.	State Government of West Bengal

	133A, new National Highway No. 10 [Indo/Bangladesh border-Fulbari-Siliguri (Shibmandir, Medical More) section)], new National Highway No. 317A (Bhutan-India border to Hasimara), new National Highway No. 327B (India-Nepal border at Mechi River to Panitanki Market terminating at NH 31 C), new NH No. 419, new NH No. 512 and new National Highway No. 717 (MainaguriChangrabandha-Indo/Bangladesh border section) as are situated within the State of West Bengal.	
35	So much of National Highways No. NH-10 [excluding from km. 52.00 to km. 80.00 (Rangpo-Ranipool Section)], NH No. 310A [excluding from Mangan, Kudyong, Chungthang, Lachung, Yumthang, Yume - Samdang Border Section and NH No. 710 as are situated within the State of Sikkim.	State Government of Sikkim”.

[F. No. NH-14013/16/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2982(E), dated the 28th July, 2021.